बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०स० :– 2/अ०प्र०–1–42/2024 14 /पटना, दिनांक :– 8/5/2024

श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, जिला अभियंता (अवकाश रक्षित), मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध दिनांक 17.02.2024 को विभागीय समीक्षा के क्रम में अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 658 दिनांक 17.02.2024 द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 639 दिनांक 27.02.2024 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक श्री ठाकुर के वेतन को स्थगित किया गया।

2. श्री ठाकुर द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 28.02.2024 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि कि उनके परिवार में दिनांक 18.02.2024 को लड़की की शादी थी जिसमें शामिल होने के लिए उनके द्वारा आनलाईन अवकाश आवेदन समर्पित किया गया था तथा इसकी सूचना नियंत्री पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी को दी गई थी। साथ ही सचिव, कोषांग में भी आवेदन समर्पित किया गया था। श्री ठाकुर द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 16.02.2024 एवं 19.02.2024 का आकस्मिक अवकाश का आवेदन जमा किया गया था तथा 15.02.2024 से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था। इसके आलोक में वे दिनांक 17.02.2024 (शनिवार) को मुख्यालय से बाहर थे। शादी सम्पन्न होते ही वे दिनांक 19.02.2024 को शादी स्थल से प्रस्थान कर मुख्यालय में दिनांक 20.02.2024 को उपस्थित हुए।

3. श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर अभियंता प्रमुख से मंतव्य की मांग की गई। अभियंता प्रमुख द्वारा मुख्य अभियंता–1 से समीक्षा कराते हुए यह मंतव्य संसूचित किया गया कि श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर द्वारा दिनांक 16.02.2024 एवं 19.02.2024 को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 15.02.2024 की संध्या से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता–1 को ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन आवेदन किया गया था। अतएव श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षोपरान्त श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य पाया गया। अतः श्री ठाकुर के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए उनका स्थगित वेतन विमुक्त किया जाता है।

8/5/24

(डॉ० फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–42/2024 1238 /पटना, दिनांक :– 8/5/2024

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, कार्यपालक अभियंता–सह–नोडल WAMIS, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/24

संयुक्त सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in